कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक छ0ग0षासन
बी ब्लाक, द्वितीय तल
इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
(दूरभाष 0771–2331482, e-mail-ceiraipur@gmail.com फैक्स 0771–2511483)

मैन्युअल–1

विभाग का मुख्य कार्य एवं संगठन

संगठन की विषिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य :–

01 नवम्बर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 26 वे राज्य के रूप मे देष के मानचित्र मे अवतरित होते ही छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के अधीन मुख्य विद्युत निरीक्षक (विभागाध्यक्ष) का कार्यालय अस्तित्व मे आ गया ।

विद्युत निरीक्षकालय का मुख्य उद्देष्य विद्युत का सुरक्षित उपयोग सुनिष्चित करने एवं विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये स्थापनाओं का प्रभावी निरीक्षण कर उपभोक्ताओं को आवष्यक सलाह देना, तारमिस्त्री एवं पर्यवेक्षक परीक्षाओं का आयोजन कर तत्संबंधी अनुज्ञा जारी करना 'अ' एवं 'ब' वर्ग विद्युत ठेकेदारों का लायसेंस जारी करना तथा निरीक्षण शुल्क, विद्युत शुल्क एवं ऊर्जा विकास उपकर के रूप मे राजस्व की वसूली करना हैं ।

छत्तीसगढ़ राज्य मे विद्युत निरीक्षकालय के निम्नानुसार कार्यालय कार्यषील हैं :–

क0	**कार्यालय**	**कार्यालय प्रमुख**	**कार्यालय की संख्या**
1	विभागाध्यक्ष का कार्यालय	मुख्य विधुत निरीक्षक	1
2	संभागीय कार्यालय	कार्यपालन अभियंता(वि.सु.) एवं संभागीय विधुत निरीक्षक	5
3	उपसंभागीय कार्यालय	सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विधुत निरीक्षक	10

विभागाध्यक्ष कार्यालय के अन्तर्गत आनेवाले कार्यालय एवं उनके कार्यक्षेत्र

क0	विभाध्यक्ष कार्यालय का मुख्यालय	संभागीय कार्यालय का मुख्यालय	उपसंभागीय कार्यालय का मुख्यालय ।	उपसंभाग के अन्तर्गत आनेवाले कार्यक्षेत्र
1	नया रायपुर इन्द्रावती भवन	1–रायपुर	रायपुर कमांक–1	छत्तीसगढ राज्य विधुत वितरण कंपनी मर्या0 के शहर संभाग, रायपुर पुर्व, रायपुर पष्चिम, रायपुर उत्तर , रायपुर दक्षिण, रायपुर मध्य,एवं उरला, सिलतरा रायपुर (ओ/एम)संभाग रायपुर एवं भाटापारा, राजिम (नवापारा)
			रायपुर कमांक–2	रायपुर संचारण एवं संधारण वृत्त के अन्तर्गत आने वाले विधुत मंडल (ओ/एम) संभाग के क्षेत्र गरियाबंध
		2–बिलासपुर	बिलासपुर	जिला बिलासपुर, मुंगेली
			कोरबा	जिला कोरबा, जांजगीर चांपा
		3–रायगढ	रायगढ	जिला रायगढ
			अंबिकापुर	जिला सरगुजा, कोरिया, जषपुर नगर, बलरामपुर, सूरजपुर
		4–राजनांदगांव	राजनांदगांव	जिला राजनांदगांव, कबीरधाम (कवर्धा)
			दुर्ग	जिला दुर्ग, बालोद, बेमेतरा,
		5–जगदलपुर	जगदलपुर	जिला बस्तर,दन्तेवाडा,कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कोण्डागांव
			धमतरी	जिला धमतरी, महासमुन्द

छत्तीसगढ़ विद्युत निरीक्षकालय के अन्तर्गत निम्न अधिनियम, विनियम तथा नियमों के प्रषासन का उत्तरदायित्व हैं ।

(अ) विद्युत अधिनिमय 2003:–

(1) धारा 53 के तहत् विद्युत सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों का पालन करने की सलाह देना ।

(2) धारा 151 के अधीन दोषी व्यक्ति के विरूद्व न्यायालय मे अभियोजन दायर करना

(3) धारा 152 के तहत् विद्युत चोरी प्रकरणों का प्रषमन (राजीनामा) करना ।

(4) धारा 161 के अन्तर्गत मानव/जानवर की घातक एवं अघातक विद्युत दुर्घटनाओं की जांच करना एवं ऐसी दुर्घटनाओं के कारणों का परीक्षण करना ।

(ब) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम 2010:–

(1) छ0ग0राज्य विद्युत उत्पादन/पारेषण/वितरण कंपनी, उच्चदाब उपभोक्ता, अनुज्ञप्ति धारियों का उच्चदाब एवं मध्यमदाब स्थापनाओं का सामयिक निरीक्षण ।

(2) उत्पादक एवं उच्चदाब स्थापनाओं के निर्माण विधियों की जांच करना एवं स्वीकृति प्रदान करना ।

(3) नये उच्चदाब उपकरणों का निरीक्षण एवं परीक्षण कर चालू करने की अनुमति प्रदान करना

(4) निरीक्षण शुल्क की वसूली करना ।

(स) सिनेमाटोग्राफ नियम 1972 :–

नवीन सिनेमा स्थापनाओं के रेखाचित्र की स्वीकृति तथा नवीन एवं पुराने सिनेमा स्थापनाओं का निरीक्षण/परीक्षण कर विद्युत स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र जारी करना ।

(द) अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) विनियम, 1960 :–

पर्यवेक्षक /तारमिस्त्री परीक्षाओं का संचालन, पर्यवेक्षक/तारमिस्त्री अनुज्ञा एवं 'अ' वर्ग व 'ब' वर्ग विद्युत ठेकेदारों को लायसेंस जारी करना, विद्युत ठेकेदारी लायसेंस का नवीनीकरण तथा ठेकेदारों एवं उनके कर्मचारियों के विरूद्व षिकायतों की जांच करना ।

(ई) छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम/नियम 1949 :–

विद्युत शुल्क खातों की जांच करना, विद्युत शुल्क तथा ब्याज की वसूली करना ।

(फ) ऊर्जा विकास उपकर :–

ऊर्जा विकास उपकर की वसूली एवं उनके लेखों का रखरखाव, उपकर की वसूली ठीक प्रकार से न होने की स्थिति मे अंतर तथा ब्याज की वसूली करना ।

मैन्युअल–2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां तथा कर्तव्य

(1) मुख्य विद्युत निरीक्षक,

शाक्तियां :–

(अ) **प्रषासनिक** :– विभाग का सचिव, प्रमुख प्रषासनिक अधिकारी होता हैं । समस्त प्रषासनिक शाक्तियां सचिव के पास निहित होती हैं ।

(ब) **वित्तीय :–** छ0ग0 वित्त संहिता के अनुसार प्रदत्त शाक्तियां विभाग के समस्त वित्तीय अधिकार सचिव के पास निहित होता हैं । आवष्यकताअनुसार वित्तीय अधिकार सभी कार्यालय प्रमुखों को प्राप्त हैं ।

(स) **अन्य :–** संपूर्ण राज्य के लिये उच्चदाब विद्युत स्थापनाओं के लिये विद्युत निरीक्षक की समस्त शक्तियां ।

कर्तव्य :–

विभागाध्यक्ष एवं नियंत्रण अधिकारी के रूप मे शासन के नियमों के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करना । विभाग की नीतियों/नियमों आदि के कुषल कियान्वयन के लिये उत्तरदायी ।

कार्य :–

(1) 500 किलोवाट /के0व्ही0ए0 से अधिक क्षमता की उच्चदाब विद्युत स्थापनाओं तथा 100 किलोवाट/के0व्ही0ए0 से अधिक क्षमता के जनरेटर विद्युत स्थापनाओं के रेखाचित्र की स्वीकृति तथा अनुमति प्रदान करना ।

(2) नवीन छविगृह स्थापनाओं के रेखाचित्र की स्वीकृति एवं विद्युत स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र जारी करना ।

(3) 05 एम0व्ही0ए0 से अधिक क्षमता के नवीन/पुराने उच्चदाब एवं उत्पादक विद्युत स्थापनाओं का निरीक्षण ।

(4) पर्यवेक्षक अनुज्ञा एवं 'अ' वर्ग विद्युत ठेकेदारी लायसेंस जारी करना

(2) कार्यपालन अभियंता (विसु)एवं संभागीय विद्युत निरीक्षकः–

(अ) **प्रषासनिक :–** संभाग के अन्तर्गत आने वाले अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों पर नियंत्रण तथा अधीनस्थ उपसंभागीय कार्यालयों पर नियंत्रण रखना ।

(ब) **वित्तीय :–** छ0ग0वित्त संहिता मे प्रदत्त समस्त वित्तीय अधिकार ।

(स) **अन्य :–** निम्नदाब/मध्यदाब विद्युत स्थापनाओं (सिनेमा व पावर स्टेषनों को छोड़कर) विद्युत निरीक्षक की समस्त शाक्तियां, मापदंडों के अनुसार प्रकरणों का निष्पादन करना तथा नियमों का क्रियान्वयन सुनिष्चित करना ।

कर्तव्य :– केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम 2010 मे वर्णित प्रावधानानुसार निरीक्षण/परीक्षण कार्य का संपादन, विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से आवष्यक सलाह देना तथा राजस्व वसूली करना ।

कार्य :–

(1) 500 किलोवाट/के0व्ही0ए0 क्षमता तक की उच्चदाब विद्युत स्थापनाओं तथा 100 किलोवाट/के0व्ही0ए0 क्षमता तक के जनरेटर विद्युत स्थापनाओं के रेखाचित्र की स्वीकृति तथा अनुमति प्रदान करना ।

(2) 2.5 एम.व्ही.ए.से अधिक एवं 05 एम.व्ही.ए. तक समस्त नवीन/पुराने उच्चदाब उपभोक्ताओं एवं उत्पादक विद्युत स्थापनाओं का निरीक्षण ।

(3) छ0ग0राज्य विद्युत वितरण/पारेषण कंपनी/लायसेन्सी के 132 के0व्ही0 एवं उससे अधिक के समस्त नवीन/पुराने विद्युत स्थापनाओं का निरीक्षण ।

(4) पुराने छविगृह स्थापनाओं का विद्युत स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र जारी करना ।

(5) तारमिस्त्री अनुज्ञा एवं 'ब' वर्ग विद्युत ठेकेदारी लायसेंस जारी करना ।

(3) सहायक अभियंता (वि0सु0)एवं सहायक विद्युत निरीक्षक :–

शाक्तियां :–

(अ) **प्रषासनिक :–** अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना ।

(ब) **वित्तीय :–** छ0ग0वित्त संहिता के प्रावधानुसार ।

कर्तव्य :– केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम 2010 मे प्रावधानानुसार निरीक्षण/परीक्षण कार्य का संपादन, विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से आवष्यक सलाह देना तथा राजस्व वसूली करना ।

कार्य :–

(1) 33 के0व्ही0 तक समस्त नवीन व पुराने विद्युत वितरण कंपनी की स्थापनायें ।

(2) 250 के0व्ही0ए0 से अधिक 2.5 एम.व्ही.ए. तक समस्त नवीन/पुराने उच्चदाब उपभोक्ता एवं उत्पादक विद्युत स्थापनाओं का निरीक्षण ।

(3) नवीन स्थाई/अस्थाई छविगृह विद्युत स्थापनाओं का निरीक्षण ।

(4) 'अ' वर्ग विद्युत ठेकेदारों के रिकार्डो एवं उपकरणों की जांच ।

(5) छ0ग0राज्य विद्युत वितरण कंपनी की 33 के0व्ही0 तक की स्थापनाओं मे घटित विद्युत दुर्घटनाओं की जांच ।

(4) उपअभियंता :–

कार्य :–

(1) मध्यमदाब विद्युत स्थापनाओं का निरीक्षण ।

(2) छ0ग0राज्य विद्युत वितरण कंपनी की 11 के0व्ही0 तक समस्त विद्युत स्थापनाओं का निरीक्षण ।

(3) 250 के0व्ही0ए0 तक के नवीन तथा पुराने उच्चदाब उपभोक्ता एवं उत्पादक विद्युत स्थापनाओं का निरीक्षण ।

(4) पुराने अस्थाई/स्थाई छविगृह विद्युत स्थापनाओं का निरीक्षण ।

(5) अस्थाई विद्युत स्थापना एवं एक्सरें प्लांट का निरीक्षण ।

(6) छ0ग0राज्य विद्युत वितरण कंपनी की 11 के0व्ही0 तक की स्थापनाओं मे घटित विद्युत दुर्घटनाओं की जांच ।

(7) 'ब' वर्ग विद्युत ठेकेदारों के रिकार्ड की जांच ।

(5) आडिट आफिसर

महालेखाकार व्दारा किये जाने वाले आडिट मे सहयोग करना एवं विभागीय आडिट दल के साथ फर्मोका आडिट करना/ अधिनस्थ कार्यालयों का कार्यालयीन निरीक्षण करना

(6) लेखाधिकारी,

समस्त स्थापना/वित्त/लेखा से संबंधित कार्य ।

(7) मुख्य विधुत शुल्क अधिकारी

विद्युत शुल्क /ऊर्जा विकास उपकर से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना एवं विधुत शुल्क छुट प्रकरणों पर कार्यवाही कर छूट प्रदान करना ।

(8) **मुख्य विद्युत लेखा परीक्षक :–**

विद्युत शुल्क /ऊर्जा विकास उपकर से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना तथा उनका रिकार्ड संधारित करना, अधीनस्थों को समय–समय पर मार्गदर्षन करना एवं समय–समय पर दिये गये कार्यो का निर्वहन भली भांति पूर्ण करना ।

(9) **निज सहायक :–**

मुख्य विधुत निरीक्षक व्दारा दिये गये कार्य

(10) **विद्युत शुल्क परीक्षक :–**

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल मे संग्रहित किये गये विद्युत शुल्क/ऊर्जा विकास उपकर से संबंधित रिकार्ड की जांच तथा छ0ग0विद्युत मंडल के वितरण केन्दों की जांच कर सही रूप से विद्युत शुल्क/ऊर्जा विकास उपकर लिया जा रहा है कि नही जांच कर रिकार्ड रखना तथा कम या अधिक राषियों को रिकार्ड मे रखना एवं वितरक तथा उत्पादकों के विद्युत शुल्क लेखें की जांच व संबंधित की पंजियों का संधारण, विद्युत शुल्क एवं ऊर्जा विकाण उपकर तथा राज्य मे स्थापित जनरेटरों का रिकार्ड संधारित कर पंजी मे पंजीबद्व करना । अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त विद्युत शुल्क रिटर्न /प्रतिवेदनों की जांच करना ।

(11) **अधीक्षक /सहायक अधीक्षक**

विभागाध्यक्ष कार्यालय का प्रषासनिक कार्य तथा उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिया गया समस्त कार्य तथा अनुषासन बनाये रखना है एवं विभाग मे कार्य सुविधा की दृष्टि से आवंटित विषयानुसार प्रकरणों को विभागीय अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर प्रकरणों पर कार्यालयीन टीप देना तथा प्रकरणों का निपटारा करना । साथ ही विभाग के अनुभाग मे अनुषासन एवं व्यवस्था बनाये रखने मे सहयोग प्रदान करना ।

(12) **सहायक ग्रेड–एक :–**

विभाग मे कार्य संपादन की दृष्टि से आवंटित विषयानुसार प्रकरण का निपटारा करने मे सहायता करना हैं । स्थापना आदि कार्य मे सहयोग एवं विषयानुसार प्रकरणों का निपटारा करना एवं समय–समय पर दिये गये कार्य समय सीमा मे पूर्ण करना ।

(13) **डाटाएन्ट्रीआपरेटर :–**कार्यालयीन डाटा कम्प्युटर मे दर्ज करना ।

(14) **स्टेनोटायपिस्ट :–** अधिकारी व्दारा दिये गये वक्तव्यो को टायपिंग करना एवं दिये गये कार्य का संधारण करना ।

(15) **सहायक ग्रेड–दो :–**

स्थापना से संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन भत्तों का भुगतान कर लेखा संधारित करना ।

(16) **सहायक ग्रेड–तीन :–**

अधिकारियों/वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा समय–समय पर दिया गया कार्य ।

(17) **विद्युतकार :–**

तकनीकी अधिकारियों को परीक्षण कार्य मे सहयोग प्रदान करना ।

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किए गए वाहनों का अभिलेख

क0	कार्यालय का नाम	आवंटित अधिकारी का नाम/पदनाम	वाहन का प्रकार	वाहन कमांक
1	मुख्य विद्युत निरीक्षक छ0ग0षासन रायपुर	श्री पी0के0मजुमदार मुख्य विद्युत निरीक्षक	सुजूकी स्वीप्ट डिजाइर पेट्रोल	CG-02 8880
2	कार्यपालन अभियंता (विसु) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, संभाग रायपुर	श्री एच0टोप्पो, कार्यपालन अभियंता (विसु)एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक	बोलोरो डीजल	CG-02 4707
3	कार्यपालन अभियंता (विसु) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, संभाग बिलासपुर	श्री एस0भारती कार्यपालन अभियंता (विसु)एवं सं0 वि0निरीक्षक	बोलोरो डीजल	CG-02 2974
4	कार्यपालन अभियंता (विसु) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, संभाग रायगढ़	श्री एस0के0नेताम कार्यपालन अभियंता (विसु)एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक	बोलोरो डीजल	CG-02 3957
5	कार्यपालन अभियंता (विसु) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, संभाग राजनांदगांव	श्री सी.एस.खांडे, कार्यपालन अभियंता (विसु)एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक	बोलोरो डीजल	CG-02 2958
6	कार्यपालन अभियंता (विसु) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, संभाग जगदलपुर	श्री डी.पी. सिंग कार्यपालन अभियंता (विसु)एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक	बोलोरो डीजल	CG-02 4924
7	सहायक अभियंता (विसु)एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उपसंभाग रायपुर–एक	श्री टी.एन. शुक्ला सहायक अभियंता (विसु)एवं सहायक विद्युत निरीक्षक	बोलोरो डीजल	CG-02 2839
8	सहायक अभियंता (विसु)एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उपसंभाग रायपुर–दो	श्री जी0आर0निराला सहायक अभियंता (विसु)एवं सहायक विद्युत निरीक्षक	बोलोरो डीजल	CG-02 2937
9	सहायक अभियंता (विसु)एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उपसंभाग दुर्ग	श्री एम.बी. गोस्वामी सहायक अभियंता (विसु)एवं सहायक विद्युत निरीक्षक	बोलोरो डीजल	CG-02 2862
10	सहायक अभियंता (विसु)एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उपसंभाग राजनांदगांव	श्री एम.एम. कौषिक सहायक अभियंता (विसु)एवं सहायक विद्युत निरीक्षक	बोलोरो डीजल	CG-02 4708
11	सहायक अभियंता (विसु)एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उपसंभाग जगदलपुर	सहायक अभियंता (विसु)एवं सहायक विद्युत निरीक्षक	मार्षल डीजल	CG-02 2682
12	सहायक अभियंता (विसु)एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उपसंभाग बिलासपुर	श्री आर0के0त्रिवेदी सहायक अभियंता (विसु)एवं सहायक विद्युत निरीक्षक	मार्षल डीजल	CG-02 2683
13	सहायक अभियंता (विसु)एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उपसंभाग कोरबा	श्री बी0एन0सिंह, सहायक अभियंता (विसु)एवं सहायक विद्युत निरीक्षक	मार्षल डीजल	CG-02 3357
14	सहायक अभियंता (विसु)एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उपसंभाग अंबिकापुर	श्री एस.एल. राठौर सहायक अभियंता (विसु)एवं सहायक विद्युत निरीक्षक	मार्षल डीजल	CG-02 3343
15	सहायक अभियंता (विसु)एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उपसंभाग रायगढ़	श्री टी.एन. श्रीवास्तव सहायक अभियंता (विसु)एवं सहायक विद्युत निरीक्षक	मार्षल डीजल	CG-02 2840
16	सहायक अभियंता (विसु)एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उपसंभाग धमतरी	श्री एस0एल0साहू सहायक अभियंता (विसु)एवं सहायक विद्युत निरीक्षक	मार्षल डीजल	CG-02 4709